## न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारीः—　　उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)**

**प्रकरण संख्या :—　　65 / 2024**

स्टेट जरिये श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

**—प्रार्थी**

**—:बनाम:—**

**अप्रार्थी—1**
अश्वनी कुमार अग्रवाल पुत्र राधेश्याम अग्रवाल (रिटेलर)
मैसर्सः—अग्रवाल ट्रेडर्स, बस स्टैण्ड के नजदीक, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
निवासीः—ज्वालासिंह वाला रोड़, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

**अप्रार्थी—2**
सुरेन्द्र मोहन ग्रोवर पुत्र प्यारेलाल ग्रोवर (मालिक)
मैसर्सः—ग्रोवर एग्रो फूड प्रा0लि0, 40—ए न्यू जयदेव नगर, नजदीक कृष्णा नगर, हिसार, राज्य हरियाणा।
निवासीः—मकान नं. 403, जयदेव नगर, हिसार, राज्य हरियाणा।

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

**—अप्रार्थीयान**

**खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 52**

**उपस्थितः—**

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. अप्रार्थीयान स्वयं उपस्थित।

**—:निर्णयः—**

**दिनांक :—25.10.2024**

प्रार्थी श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सुदेश कुमार गर्ग दिनांक 18.03.2023 को समय सायं 04.20 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्सः—अग्रवाल ट्रेडर्स, बस स्टैण्ड के नजदीक, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर अश्वनी कुमार अग्रवाल पुत्र राधेश्याम अग्रवाल (रिटेलर) निवासी—ज्वालासिंह वाला रोड़, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ उपस्थित मिला। उक्त विक्रेता के पास आमजन के बेचान वास्ते 70 कार्टून में लगभग 840 बोतल X 01 लीटर Mango Drink (Fruit Link Brand) रखी हुई थी। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर विक्रेता से 04 बोतल X 01 लीटर वजनी Mango Drink (Fruit Link Brand) नमूना जांच वास्ते क्रय कर लिया। मौके पर ही विक्रेता को उक्त Mango Drink (Fruit Link Brand) के खरीद मूल का 105 / —रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद रसीद / कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा 04 बोतल X 01 लीटर वजनी Mango Drink (Fruit Link Brand) को चार बराबर भाग में लिया और चार लेबल तैयार कर लेबल पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर कर लेबल स्लिप कोड एके–2512 मिन पर दर्ज कर चारों बोतलों पर चिपकाया। प्रत्येक बोतल को मोटे खाकी कागज में लपेटकर ऊपर से [illegible] चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके—2512 मिन पर दर्ज कर चारों बोतलों पर चिपकाया। प्रत्येक बोतल को [illegible] मोटे सफेद धागे से बांधा व चार—चार जगह से सील चपड़ी किया। सील [illegible] पर विक्रेता व गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नं0 6 कार्यालय में तैयार किया एवं नमूना सील किया गया। एक नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.11.12 11:13:21 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 350 दिनांक 29.03.2023 जिसके अनुसार नमूना जांच Misbranded Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/6355–56 दिनांक 12.04.2023 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके पश्चात् कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। विक्रेता फर्म मैसर्स अग्रवाल ट्रेडर्स द्वारा लिये गये नमूना सामग्री Mango Drink (Fruit Link Brand) को मैसर्स ग्रोवर एग्रो फूडस प्रा0लि0 40 ए, न्यू जयदेव नगर, नजदीक कृष्णा नगर, हिसार, हरियाणा से क्रय करना बताया। प्रमाण के रूप में स्वहस्ताक्षरित कर बिल नं0 725/2022–23 दिनांक 19.02.2023 प्रस्तुत किया गया। बिल के आधार पर संबंधित फर्म को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय के पत्रांक एफएसएसए/2023/12719 दिनांक 28.07.2023 द्वारा` 07 दिवस में फर्म का खाद्य लाईसेंस/प्रोपराईटर पहचान पत्र/जीएसटी रजिस्ट्रेशन Mango Drink (Fruit Link Brand) का क्रय बिल प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। परंतु संबंधित फर्म द्वारा कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। विक्रेता द्वारा प्रस्तुत बिल एवं जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर की जांच रिपोर्ट अनुसार सील्ड नमूना पैक पर अंकित निर्माण इकाई के पते अनुरूप निर्माता फर्म को अभियोजन में शामिल किया गया। आवेदक द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थीयान ने Misbranded खाद्य पदार्थ Mango Drink (Fruit Link Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 52 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर Mango Drink (Fruit Link Brand) विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीयान को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिसकी पावती संलग्न पत्रावली है।

अप्रार्थी–1 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा उक्त माल अप्रार्थी–2 से खरीद किया था। अप्रार्थी निर्माता नहीं है। अप्रार्थी–2 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर खुद को फर्म का मालिक बताया एवं कथन किया कि उसकी फर्म से खरीदे गये माल की क्वालिटी सही है। केवल लैबलिंग संबंधी कुछ कमी पाई गई है। लैबल एवं अन्य विवरण बोतल पर प्रिंट होते हैं न कि रैपर पर। प्लास्टिक पर प्रिंटिग होने के कारण कई बार माल उतार–चढ़ाव के दौरान प्रिंट उतर जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मिलावट नहीं पाई गई है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रकरण को खारिज किया जावे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लैब रिपोर्ट के अनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीयान द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय किये गये Mango Drink (Fruit Link Brand) की जांच में Misbranded की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीयान द्वारा Misbranded Mango Drink (Fruit Link Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थीयान द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थीयान के Misbranded कृत्य के लिए धारा 52 के तहत अप्रार्थी–1 पर 2,000/–(अखरे रूपये दो हजार मात्र) एवं अप्रार्थी–2 पर 8,000/–(अखरे रूपये आठ हजार मात्र) एवं इस प्रकार प्रकरण में कुल 10,000/–(अखरे रूपये दस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक–एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 25.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट ★ हनुमानगढ़ ★

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.11.12 11:13:21 IST
Reason: SelfAttested

(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़